न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी

मनमोहन मीना (RAS)

प्रकरण सं० 38/19

दायर दिनांक 4.12.2019

1. मनोहरी पुत्र धर्मसिंह 2. रज्जो उर्फ राजेन्द्र पुत्र धर्मसिंह
3. किशन 4. किशोरी पुत्रान गुलाब 5. रामफूल पुत्र कुन्दन
6. शकुन्तला पत्नि रघुवीर 7. बबलू 8. बीरबल 9. चिन्टू
पुत्रान रघुवीर 10. बेस्टू उर्फ वेदप्रकाश पुत्र रघुवीर
11. रामभरोसी 12. चिरमोली पुत्रान रामसिंह
सभी जातियान माली निवासीयान सेंधली (मुसावर)

-- वादीगण

बनाम

1. सोनीराम पुत्र धर्मसिंह 2. रामचरन 3. जयराम
4. अर्जुन 5. जोरावर पुत्रान खिल्ली 6. सन्तो पत्नि मोहरसिंह
7. मुकेश 8. गुलचमन 9. बीना पुत्र, पुत्रियान मोहरसिंह
10 शेरसिंह 11. भागचन्द पुत्रान मोरध्वा 12. दीपचन्द 13. जगालिया
पुत्रान रज्जन 14. रमेश 15. लेखराम 16. गिरधारी पुत्रान
गिरराज 17. पप्पू पुत्र गिरराज 18. सुफेदी पत्नि लक्ष्मन
19. अखेराम 20 किशकिन्दर पुत्रान लक्ष्मन 21. तारावती पुत्री
लक्ष्मन 22. सन्तो पुत्री लक्ष्मन 23. पन्नीलाल पुत्र किशनलाल
24. बाबू 25. राजेन्द्र 26. बृजो 27. बत्तो 28. राजकौर
29. शान्ति पुत्रान पुत्रियान किशनलाल 30 मुरारी 31. बदन
32. शिवलाल 33. कमरसिंह पुत्रान बालकिशन 34. रम्मो
पत्नि रतनलाल 35. खेमचन्दी 36 रामवीर 37 धर्मेन्द्र
38 वीरेन्द्र 39. मुकेश 40 वीरवती 41. गुड्डो 42. पूरनदेई
पुत्रान, पुत्रियान रतनलाल 43. हजारी पुत्र प्रेमराज
44. हेमन्त 45. प्रताप 46. विवेक 47. गुड्डी 48. लता 49. मन्जो
50 गौरा 51 पार्वती 52. अनीता पुत्रान, पुत्रियान प्रभूदयाल
53 बैजन्ती पत्नि प्रभूदयाल 54- भगवानसिंह पुत्र गिरराज
55. बाबूलाल पुत्र कुन्दन 56. कमला पुत्री कुन्दन
57. हरीसिंह पुत्र रूपचन्द 58. अशोक पुत्र रूपचन्द
59 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मुसावर (भरतपुर)

-- प्रतिवादीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता :- I श्री सुरेन्द्र चौधरी - वादीगण
II- श्री हेमसिंह [illegible] - प्रतिवादीगण
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (भरतपुर)

निर्णय दिनांक 12-3-2020

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA
का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ० ख० नं० 570 रकबा
0.8700 खाता संख्या 84, ख.नं. 653 रकबा 0.2300 हैक्टर
खाता सं० 85, ख.न. 462 रकबा 0.1200 है० खाता सं. 87, आ.ख.नं
418 रकबा 0.4100, 419 रकबा 0.6100, 509 रकबा 0.2400 है०
523 रकबा 0.3200, 530 रकबा 0.0600, 535 रकबा 0.3500,
575 रकबा 0.2200, 656 रकबा 1.5500 किता 8 कुल रकबा
3.7600 हैक्टर खाता सं० 88 एवं आ० खसरा नम्बर 591 रकबा
0.6400 है० खाता संख्या 91 वाके ग्राम सैंथली तहसील
भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है. जिसमें मुताबिक जमाबन्दी
सम्वत 2074-2074 में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण नायलान व
प्रतिवादीगण गैर नायलान सं० 1 लगायत 53 व 55 लगायत 58
काबिज काश्तकार एवं खातेदार हैं। तथा इसी प्रकार से मौके
पर शान्ति पूर्वक काश्त करते हुए राज लगान लगान राज्य सरकार
को अदा करते चले आ रहे हैं।

विवादित आराजीयात नायलान एवं गैर नायलान संख्या
1 लगायत 53 व 55 लगायत 58 की संयुक्त काश्त कारी एवं
संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजी है जिसका विभाजन
नहीं हुआ है मनवट के आधार पर ही
वादी मीटस एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है मनवट के आधार पर ही
वादीगण एवं प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु
प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर चालाक एवं लड़ाकू सरगना किस्म के व्यक्ति हैं।
जो वादीगण को उनकी आराजी का पूरा पूरा लाभ नहीं प्राप्त
करने देते है बिना विभाजन कराये अच्छी अच्छी आराजी को
अपने कब्जे में लेकर दोयम व्यक्ति को रहन बय करते हुए
मौके से बेदखल करने पर उतारू हैं। अतः वादीगण गैर नाय-
लान संख्या 1 लगायत 58 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा
पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण
को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द कराने बाबत
निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

प्रार्थीगण द्वारा प्रा०पत्र अन्तर्गत 212 RTA को दर्ज
रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी
डाक द्वारा की गई।

--- लगातार - 3

नोटिस बाद तामील प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4,5 10, 11, 14 लगायत 33 व 54 की ओर वकालतनामा श्री हेमसिंह पाण्डेय एडवोकेट द्वारा तथा प्रतिवादीगण सं० 7,8,9,12,36, 38, 39, 43, 44, 45, 55, 57, 58 की ओर से वकालतनामा श्री आशीष चौधरी द्वारा पेश किया गया। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 6, 13, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56 की बाद डाक द्वारा तामील कन्फर्म होने पर उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई गई।

जवाब दावा प्रतिवादीगण सं० 2 लगा० 5, 10, 11, 14 लगा० 33, 54 की ओर से अवगत कराया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सारी बातें झूठी एवं मनगढन्त हैं। दोनों पक्ष कारान अपने-अपने अपने हिस्से की आराजी पर मनमर्जी के आधार पर हुए विभाजन अनुरूप काश्त कर रहे हैं। तथा अनाज [illegible] कायम हो रही है तथा नहीं वादीगण को अवका डौल मैंड [illegible] धमकी दी गई अतः प्रार्थना पत्र इन प्रतिवादी द्वारा खारिज योग्य है।

तथा प्रतिगण सं० 7, 8, 9, 12, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 55, 57, 58 की ओर से आये अधिवक्ता, जवाब में प्रा० पत्र के अधिकतर मद पर सहमति जताई गई है तथा वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन मौके व कब्जे के आधार पर किया जाता है, तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा वादीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने उभय पक्ष के विद्व अधिवक्तागण की बहस सुनी व उनकी दलीलों पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया गया बाद अध्ययन एवं मनन करने पर पाया गया कि भूमि का कोई मीटस एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है बहखाते रासान प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाना वाजिब है ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बने व कानूनी पेचीदगियां पैदा नहीं हो इस को ध्यान में रखते हुए प्रा० पत्र 212 RTA स्वीकार किया जाता है। चूंकि मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है)

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

-- लगातार-4

अतः प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 58 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 570 रकबा 0.8700 खाता संख्या 84, 653 रकबा 0.2300 खाता सं. 85, ख.नं. 462 रकबा 0.1200 खाता संख्या 87, एवं आराजी खसरा नम्बर 418 रकबा 0.4100, 419 रकबा 0.6100, 509 रकबा 0.2400, 523 रकबा 0.3200 हे०, 530 रकबा 0.0600 हे, 535 रकबा 0.3500, 575 रकबा 0.2200, 656 रकबा 1.5500 हे किता 8 रकबा 3.7600 हे० खाता सं. 88 एवं आ० ख० नं० 591 रकबा 0.6400 हे० खाता सं. 91 वाके ग्राम सैंधली तहसील भुसावर की आराजीयत पर ताफैसला दावा किसी व्यक्ति को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करें तथा वादीगण के निहित हिस्से की आराजी के उपयोग व उपभोग में तथा कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 12.3.20 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा संलग्न मूल वाद हो।

12/3/2020

मनमोहन मीना
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)